

penalty passed by any officer below the rank of an Asstt. Commissioner where the said amount does not exceed Rs. 50,000/-.

(ii) Appeals against any other orders passed by an Officer below the rank of an Asstt. Commissioner not including penalty orders.

The Appellate Authority having higher pecuniary jurisdiction to hear an appeal under the Local Act in respect of any assessment year, shall also be competent to hear the appeal for the same year under the Central Sales Tax Act, 1956 (hereinafter called the Central Act) irrespective of the amount in respect of which the appeal is preferred under the Central Act. Similarly, the Appellate Authority having higher pecuniary jurisdiction to hear an appeal under the Central Act (read with Section 43 of the Local Act) in respect of any assessment year, shall also be competent to hear the appeal for the same year under the Local Act irrespective of the amount in respect of which the appeal is preferred under the Local Act.

The appeals where the disputed amount is above Rs. 50,000/- shall stand transferred from the Zonal Assistant Commissioners to the respective Deputy Commissioners.

These orders shall come into force with immediate effect.

R. K. VERMA, Commissioner

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2004

सं. एफ. 11/34/94/ग. पु.-II/डी. ओ. पी./4277.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74/यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जे. एल. ठुकराल, अतिरिक्त लोक अभियोजक [मुख्य अभियोजक (तदर्थ)] को दिनांक 1 सितम्बर, 2004 से अगले आदेशों तक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह पिछली अधिसूचना संख्या एफ. 11/34/94/ग. पु.-II/डी. ओ. पी./3670 दिनांक 22-7-2004 को निरस्त करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके

नाम पर,

संजय गिहार, उप सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th August, 2004

No. F. 11/34/94/HP-II/DOP/4277.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. 11011/2/74-UTI(i) dated 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri J. L. Thukral, Additional Public Prosecutor [(Chief Prosecutor (Adhoc))] as Public Prosecutor of Delhi w.e.f. 1st September, 2004 till further orders.

This will supercede previous notification No. F. 11/34/94/HP-II/DOP/3670 dated 22-07-2004.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

SANJAY GIHAR, Dy. Secy.

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 25 अगस्त, 2004

सं. फा./परि./आरओएच/04/12/316.—विषय पर जारी इस सरकार की पूर्व अधिसूचनाओं/आदेशों के आंशिक आशोधन तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 12 जून, 1989 की अधिसूचना सं. एच ओ 444 (ई) को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निदेश देते हैं और घोषणा करते हैं कि अशोक विहार स्थित वर्तमान उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के स्थान पर दो क्षेत्रीय कार्यालय निम्नानुसार होंगे :—

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिला कोड
1. अशोक विहार (उत्तर पश्चिम-I)	8
2. रोहिणी (उत्तर पश्चिम-II)	8क

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 25th August, 2004

No. F/Tpt/Roh/04/12/316.—In partial modification of this Government's previous notifications/orders issued on the subject and in exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in order to implement the notification No. S.O. 444(E) dated 12th June, 1989 issued by the Government of India, Ministry of Surface Transport, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs and declare that hence forth there shall

be two Zonal Offices in place of the existing North-West Zone in Ashok Vihar as under :—

Name of the Zonal Office	District Code
1. Ashok Vihar (North-West-I)	8
2. Rohini (North-West-II)	8A

सं. फा./परि./आरओएच/04/12/316अ. — परिवहन विभाग की दिनांक 12 जनवरी, 1990 की अधिसूचना सं. एस ई सी ई 4 (4)/90/परि. के तथा 24 फरवरी, 1994 के आदेश संख्या 260-285 के अतिरिक्त में तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 12 जून, 1989 के स्थायी आदेश सं. का.आ. 444 (ई) को क्रियान्वित करने के लिए तथा उपरोक्त अधिसूचना के तुरन्त पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकरण प्राधिकरणों के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए (क) कोड संख्या अंकों में आबंटित करते हैं तथा (ख) वाहन कोड संख्यापद में आबंटित करते हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकरण चिन्ह के अन्तर्गत विभिन्न किस्मों के वाहनों के लिए प्रयुक्त किए जाए, उन्हें निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(क) क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिला कोड
1. राजपुर रोड (उत्तर)	1
2. तिलक मार्ग (नई दिल्ली)	2
3. शेख सराय (दक्षिणी)	3
4. जनकपुरी (पश्चिमी)	4
5. लोनी रोड (उत्तर पूर्वी)	5
6. सराय काले खां (केन्द्रीय)	6
7. आनन्द विहार (पूर्वी)	7
8. अशोक विहार (उत्तर पश्चिमी-I)	8
9. रोहिणी (उत्तर पश्चिमी-II)	8क
10. पालम (दक्षिणी पश्चिमी)	9

(ख) वाहन पहचान के लिए कोड

वाहन की किस्म	कोड
● टू व्हीलर	एस
● कार, वैन, जीप (प्राइवेट)	सी
● ऑटो रिक्शा	आर
● टैक्सी	टी
● ट्रिस्ट टैक्सी	(वाई)
● डीलक्स ट्रिस्ट टैक्सी	जैड
● रेंट ए कैब	एन

● मैक्सि कैब	एमस
● फटफट सेवा	क्यू
● रेडियो टैक्सी	आरएक्स
● ऑटो-मैक्सि कैब	डब्ल्यू
● हल्के वाहन सामान	एल
● हल्के यात्री वाहन	वी
● मध्यम सामान	एम
● मध्यम यात्री	बी
● भारी सामान	जी
● हैवी पैसेंजर	पी
● पिकअप वैन	यू
● ट्रेक्टर	ई
● ट्रेलर/फैंसी नम्बर कार	एफ
● विक्लांग वाहन	डी
● एम्बुलेन्स (रोगी वाहन)	ए

मोटर वाहन को पंजीकरण चिन्ह आबंटित करते समय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोड डी एल के पश्चात् क्षेत्रीय कोड दिया जाएगा तथा उसके पश्चात् वाहन का कोड तथा उसके पश्चात् नम्बर दिया जाएगा जो 9999 (चार अंकों) से अधिक नहीं होगा।

2. जहां पैराग्राफ 1 में उल्लिखित चार अंक 9999 तक पहुंच जाएंगे वहां अगली सीरिज वर्ण "ए" से शुरू होगी तथा उसके बाद चार से अधिक अंक नहीं होंगे जब तक सारे वर्ण समाप्त नहीं हो जाते।

उपबंध है कि वर्ण अंग्रेजी में होंगे तथा अंक अरबी संख्यापद में होंगे।

3. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से तुरन्त प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव तलवार, आयुक्त

No. F./Tpt/Roh/04/12/316A.—In supersession of Transport Department notification No. SECE 4(4)/90/Tpt. Dated 12th January, 1990 and order No. 260-285 dated 24th February 1994 and in exercise of powers conferred by Sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and to implement the standing order No. SO 444(E) dated 12th June 1989 issued by the Government of India, Ministry of Surface Transport and in furtherance of the above said notification, the Administrator of the National Capital Territory of Delhi hereby allots the (a) code numbers for zonal offices of the Registering authorities in numerals and (b) vehicle code in alphabets to be used for

different types of vehicles under registration mark in the National Capital Territory of Delhi are specified in the tables mentioned below—

(a) Name of the Zone Office	District Code
1. Rajpur Road (North)	1
2. Tilak Marg (New Delhi)	2
3. Sheikh Sarai (South)	3
4. Janak Puri (West)	4
5. Loni Road (North East)	5
6. Sarai Kale Khan (Central)	6
7. Anand Vihar (East)	7
8. Ashok Vihar (North West-I)	8
9. Rohini (North West-II)	8A
10. Palam (South West)	9

(b) Codes for vehicle identification—

Type of vehicle	Code
• Two Wheelers	S
• Cars, Vans, Jeeps (private)	C
• Auto Rickshaw	R
• Taxi	T
• Tourist Taxi	Y
• Deluxe Tourist Taxi	Z
• Rent a Cab	N
• Maxi Cab	MC
• Phat-phat Sewa	Q
• Radio Taxi	RX
• Auto-maxi cab (Eco-Friendly Sewa)	W
• Light Goods Vehicle	L
• Light passenger Vehicle	V
• Medium goods	M
• Medium passenger	B
• Heavy goods	G
• Heavy passenger	P
• Pick up vans	U
• Tractor	E
• Trailor/Fancy No. for M/car	F
• Invalid carriage	D
• Ambulance	A

While allotting registration mark to a motor vehicle, Delhi NCT code DL will be followed by zonal code and thereafter the code of the vehicle and further a number not exceeding 9999 (four figures).

2. Where four figures referred to in paragraph 1 each 9999, the next series shall begin with alphabet A followed by not more than four figures and so on until all the alphabets are exhausted.

Provided that the letters shall be in English and figure shall be in Arabic numerals.

3. This notification shall come into force w.e.f. the date of its notification.

For and on behalf of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

RAJEEV TALWAR, Commissioner

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2004

सं. फा./परि./आरओएच/04/12/316बी.—सरकार की दिनांक 25 अगस्त, 2004 की अधिसूचना सं. फा. परिवहन/रोहि./04/12 के अनुसरण में उत्तर पश्चिम जिला अशोक विहार को दो क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित किया गया है जिसमें अशोक विहार (उत्तर पश्चिम जिला-I) तथा रोहिणी (उत्तर पश्चिमी जिला-II) क्षेत्र होंगे।

समस्त निवासियों एवं कामगारों से अनुरोध किया जाता है कि वे परिवहन विभाग से संबंधित किसी भी कार्य अर्थात् नए खरीदे गए वाहनों के पंजीकरण, नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अन्तरराष्ट्रीय ड्राइविंग परामिट तथा नए ड्राइविंग लाइसेंसों के नवीनीकरण इत्यादि के लिए निम्नानुसार क्रमशः अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क करें :-

अशोक विहार क्षेत्र भारत नगर	रोहिणी क्षेत्र प्रथम तल
निमड़ी कॉलोनी दिल्ली	डीटीसी डिपो सै.-16
	रोहिणी, दिल्ली.

1	2	3
1. सरस्वती विहार		सुल्तानपुरी
2. आदर्श नगर		मंगोलपुरी
3. अशोक विहार		समयपुर बादली
4. वजीरपुर		प्रशांत विहार
5. जहांगीरपुरी		ओचंदी बार्डर
6. रानी बाग		बवाना
7. संगम पार्क		अलीपुर
8. माडल टाउन		रोहिणी
9. मुखर्जी नगर		कंझावला
10. आजादपुर		नरेला